भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 5398
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तन पर ग्राउंड हैंडलर्स के लिए संरक्षा अनुमति

5398. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलरों को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से संरक्षा अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सेवा प्रदाताओं द्वारा संरक्षित संचालन के लिए रूपरेखा निर्धारित करने हेतु नए नियम बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डीजीसीए ने इस संबंध में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारतीय हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता (जीएचएसपी) को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से संरक्षा अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

डीजीसीए ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड-4 श्रृंखला-X भाग-II प्रकाशित किया है, जिसमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता (जीएचएसपी) को सुरक्षा क्लियरेंस जारी करने के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है।

इन अपेक्षाओं में प्रचालनिक प्रक्रियाएं, पर्याप्त और सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता, प्रशिक्षण अपेक्षाएं, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण (जीएसई) का अनुरक्षण, ग्राउंड संबंधी घटनाओं/दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, आदि शामिल हैं।

डीजीसीए ने दिनांक 15.03.2024 को वेबसाइट पर इसे डालकर मसौदा आवश्यकताओं पर हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा की गई, जिसके पश्चात दिनांक 29.05.2024 को सभी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई।

टिप्पणियों और चर्चाओं के आधार पर, सीएआर के रूप में अंतिम अपेक्षाएं अर्थात सीएआर खंड-4 श्रृंखला-x भाग-II को डीजीसीए की वेबसाइट पर दिनांक 08.07.2024 को प्रकाशित किया गया था।

******